भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2281

जिसका उत्तर शुक्रवार, 29 जुलाई, 2022 को दिया जाना है

न्याय मित्र योजना

2281. श्री संजय जाधव :

श्री कृपाल बालाजी तुमाने :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के कई राज्यों में लंबित मामलों को कम करने में जिला न्यायपालिका की सहायता हेतु न्याय मित्र योजना आरम्भ की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जहां अब तक इसे लागू किया गया है ;

(ग) क्या योजना के लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत निपटाए गए मामलों की राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है ;

(घ) क्या सरकार ने इस योजना को देश के अन्य राज्यों में विस्तारित करने के लिए कोई कदम उठाए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) सभी राज्यों में इस योजना के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री
(श्री किरेन रीजीजू)

(क) से (ङ) : जी, हां । न्याय मित्र (एनएम) का उद्देश्य उच्च न्यायालयों और अधीनस्थ न्यायालयों में 10-15 वर्ष पुराने लंबित मामलों के शीघ्र निपटान को सुकर बनाना है । वर्ष 2017 से न्याय मित्र कार्य के आरंभ होने के समय से, उपाबंध-'क' के अधीन दिए गए ब्यौरों के अनुसार असम, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओड़िशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बंगाल राज्यों में कुल 38 न्याय मित्रों को

नियुक्त किया गया था । अब तक नियुक्त किए गए न्याय मित्रों ने 3495 पुराने मामलों के निपटारे में संबंधित न्यायालय की सहायता की है जिनमें वैवाहिक मामले, दुर्घटना दावा और दांडिक मामले भी सम्मिलित हैं । निपटाए गए मामलों के राज्य:संघ राज्यक्षेत्र वार मामलों के ब्यौरे उपाबंध-'ख' पर हैं । वर्ष 2021 से 2026 तक संपूर्ण देश में 80 न्याय मित्रों की नियुक्ति की जाएगी । वर्ष 2021-2022 के लिए मास अप्रैल, 2022 में 11 न्यायालयों में 11 न्याय मित्रों की नियुक्ति की गई है ।

****

उपाबंध-क

श्री संजय जाधव व श्री कृपाल बालाजी तुमाने, संसद सदस्यों द्वारा न्याय मित्र योजना से संबंधित पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2281 जिसका उत्तर तारीख 29.07.2022 को दिया जाना है, के भाग (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

नियुक्त किए गए न्याय मित्रों की संख्या को अन्तर्वलित करने वाला राज्य वार विवरण
2017-2022

क्र. सं.	**राज्य**	**वर्ष 2017-2018**	**वर्ष 2018-2019**	**वर्ष 2019-2020**	**वर्ष 2020-2021**	**वर्ष 2021-2022**	**कुल**
1	असम	**-**	**-**	**-**	**शून्य ***	02	02
2	बिहार	01	-	-		-	01
3	कर्नाटक	-	-	-		01	01
4	**महाराष्ट्र**	**-**	**-**	**03**		**01**	**04**
5	ओड़िशा			02		02	04
6	राजस्थान	04	03	02		01	10
7	उत्तर प्रदेश	05	-	01		02	08
8	पश्चिमी बंगाल	04	01	01		02	09
	कुल	**14**	**04**	**09**		**11**	**38**

*वर्ष 2020-2021 के दौरान न्यायालयों के बन्द रहने और कोविड महामारी द्वारा कार्यरत सामाजिक दूरी प्रोटोकाल के कारण किसी न्याय मित्र की नियुक्ति नहीं की जा सकी ।

उपाबंध-ख

श्री संजय जाधव व श्री कृपाल बालाजी तुमाने, संसद सदस्यों द्वारा न्याय मित्र योजना से संबंधित पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 2281 जिसका उत्तर तारीख 29.07.2022 को दिया जाना है, के भाग (ग) के उत्तर में निर्दिष्ट विवरण ।

न्याय मित्र द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या को अन्तर्वलित करने वाला राज्य वार विवरण
(2017-2022)

क्र. सं.	**राज्य**	**निपटाए गए मामलों की संख्या (2017-2022)**
1	असम	8
2	बिहार	44
3	कर्नाटक	0
4	महाराष्ट्र	327
5	ओड़िशा	818
6	राजस्थान	1691
7	उत्तर प्रदेश	461
9	पश्चिमी बंगाल	28
	कुल योग	**3495**

****